अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, दुमका

रे0 मि0 अपील वाद सं0 02/2016 – 17

ओम प्रकाश सिंह.....अपीलकर्त्ता

बनाम्

सरकार .....उत्तरकारी

॥ आदेश ॥

यह राजस्व विविध अपील माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड राँची के W.P.(C) NO. 3416/ 2016 में पारित आदेश दिनांक – 05.07.2016 के आलोक में अंचल अधिकारी, दुमका द्वारा पारित आदेश दिनांक – 08.06.2016 के विरूद्ध दायर किया गया है, जिसमें अंचल अधिकारी, दुमका द्वारा अपीलकर्त्ता को उनके द्वारा दाग सं0 – 1644 में अवैध अतिक्रमित भूमि से बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 के अन्तगर्त अतिक्रमण हटाने के आदेश दिया गया है।

मैनें उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्त्ता के पिता शेषनाथ सिंह को केदारनाथ हिम्मतसिंहका से मौजा – ग्रान्ट इस्टेट दुमका के दाग सं0 – 1644 को वर्ष 1949 में दान में रजिस्ट्री डीड सं0 – 835/1955 द्वारा प्राप्त किया गया है। अपीलकर्त्ता के पिता द्वारा उक्त जमीन पर 1950 में पक्का का मकान बनाया गया। इनके द्वारा उक्त जमीन का नगरपालिका को होल्डिंग टेक्स, वाटर कनेक्शन टेक्स तथा बिजली बिल भी भुगतान करते है। दाग सं0 – 1644 एक बड़ा भू-खण्ड है एवं इसपर विभिन्न व्यक्तियों को केदारनाथ हिम्मतसिंहका द्वारा बेचा गया है। अपीलकर्त्ता को अंचल अधिकारी से दिनांक – 10.05.2016 को भेजा गया नोटिस जिसमें उन्हें दिनांक – 15.05.2016 को उक्त दाग से सम्बंधित कागजात दाखिल करने को कहा गया। पुनः उन्हें दिनांक – 19.05.2016 को नोटिस भेजा गया जिसमें 03.06.2016 तक कागजात दाखिल करने को कहा गया। अपीलकर्त्ता द्वारा इस सम्बन्ध में अपना कागजात अंचल कार्यालय में जमा किया गया, किन्तु दिनांक – 08.06.2016 को अंचल अधिकारी द्वारा एकतरफा आदेश पारित करते हुए बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 के धारा – 6 के अन्तर्गत दाग सं0 – 1644 में अतिक्रमण भूमि से दिनांक – 22.06.2016 तक अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया। इस आदेश के विरूद्ध में अपीलकर्त्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड राँची के न्यायालय में W.P.C 3416/2016 दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक – 05.07.2016 को आदेश पारित करते हुए अपीलकर्त्ता को सक्षम न्यायालय में अपील दायर करने का आदेश दिया गया। फलतः यह अपील दायर किया गया।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का आगे कहना है कि प्रश्नगत जमीन बसौड़ी जमीन है, किन्तु निम्न न्यायालय द्वारा अपीलकर्त्ता को लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम धारा – 6 के अन्तर्गत अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया है, जो न्याय संगत नहीं है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश को विलोपित

करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

उत्तरकारी राज्य की ओर से सरकारी अधिवक्ता द्वारा पक्ष प्रस्तुत किया गया। सरकारी अधिवक्ता द्वारा पक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि प्रश्नगत जमीन दाग सं0 – 1644 का अंश रकवा 8.317 एकड़ L.A Case No. 128/59 – 60 द्वारा बिहार राज्य पथ परिवहन के लिए अधिग्रहित है तथा यह जमीन झारखण्ड सरकार की है। अतः लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के अन्तर्गत निम्न न्यायालय द्वारा अपीलकर्त्ता को अतिक्रमण हटाने का दिया जाना समुचित प्रतीत होता है।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तओं के सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता के पिता को प्रश्नगत जमीन निबंधन दलित सं0 – 835/1955 द्वारा केदारनाथ हिम्मतसिंहका से उपहार (दान) स्वरूप प्राप्त है किन्तु इस जमीन का उनके नाम से न तो नामांतरण ही किया गया है और न तो उक्त जमीन का लगान ही भुगतान किया जा रहा है। प्रसंगाधीन भूमि पर अपीलकर्त्ता का कोई स्वत्व एवं अधिकार नहीं है। सरकार द्वारा LA Case No. – 128/59 – 60 के माध्यम से उक्त भूमि को केदारनाथ हिम्मतसिंहका से अधिग्रहित किया जा चुका है। भूमि पर सरकार का स्वत्व एवं अधिकार है। ऐसी स्थिति में उनके दावों को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपील आवेदन को खारीज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

30/VI/20

अपर समाहर्त्ता,
दुमका।

30/VI/20

अपर समाहर्त्ता,
दुमका।